

2021/272  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाली कैम्प गोरीया  
पीठासीन अधिकारी: श्री अतुल प्रकाश आई.ए.एस

**प्रार्थीगण**  
चुन्नीलाल पुत्र राजाराम जाति  
ग्रासीया साकिन गोरीया  
तहसील बाली

**बनाम**

**अप्रार्थी**  
तहसीलदार, बाली

प्रकरण संख्या :- 131/2021  
बाबत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

**आदेश**

दिनांक : 02.11.2021

प्रार्थी द्वारा उपरोक्त प्रकरण कैम्प में प्रस्तुत किया गया, जिसे दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नकल दी गई। अप्रार्थी की ओर से जवाब मय रिपोर्ट प्राप्त हुई।

प्रकरण के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम गोरीया के खसरा न. 576/1149 कुल खसरा 01 रकबा 0.6400 हे. भूमि स्थित है। जिसके प्रमाण स्वरूप जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 की प्रति प्रस्तुत की। जिसमें प्रार्थी का त्रुटिपुर्ण नाम चुनीया पुत्र राजा ग्रासीया दर्ज हैं तथा अतः रेकर्ड को दुरुस्त करते हुए प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम चुन्नीलाल पुत्र राजाराम भील करवाने का निवेदन किया।

उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब मय पटवारी रिपोर्ट भूमिधारी की ओर से पेश किया एवं प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित त्रुटी को स्वीकार किया गया।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज व रिपोर्ट का अवलोकन किया। भूमिधारी के जवाब एवं पटवारी रिपोर्ट अनुसार प्रथम दृष्टया प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित अनुसार राजस्व रेकार्ड जमाबंदी सम्वत 2076 से 2079 में दर्ज खातेदार प्रार्थी का त्रुटिपुर्ण नाम चुनीया पुत्र राजा ग्रासीया दर्ज हैं, जबकि प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम चुन्नीलाल पुत्र राजाराम भील प्रस्तुत दस्तावेज यथा आधार कार्ड, राशन कार्ड व शपथ पत्र की प्रतियों के अनुसार है। जिस तथ्य को अप्रार्थी तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, गोरीया ने अपनी जांच रिपोर्ट में स्वीकार करते हुये सही नाम दुरस्ती के माध्यम से दर्ज किये जाने की अनुशंषा की हैं।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत स्वीकार किया जाता हैं तथा ग्राम गोरीया के खसरा न. 576/1149 कुल खसरा 01 रकबा 0.6400 हे. में दर्ज प्रार्थी के त्रुटिपुर्ण नाम चुनीया पुत्र राजा ग्रासीया को दुरुस्त करते हुए प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम चुन्नीलाल पुत्र राजाराम भील दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। रेकर्ड में दर्ज शेष इन्द्राज बदस्तुर कायम रखे जावे। अप्रार्थी भूमिधारी

आदेश की पालना तुरन्त कर राजस्व रेकर्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद करे।

पत्रावली फ़ैसल शुमार हो कर दाखिल दफ़तर होकर नम्बर से कम हो।



आदेश आज दिनांक 02.11.2021 मजमें कैम्प गोरीया में पक्षकारों को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, बाली  
उपखण्ड अधिकारी  
कैम्प  
बाली, जिला-पाली (राज.)

उपखण्ड अधिकारी, बाली  
कैम्प  
बाली, जिला-पाली (राज.)